HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12946/2024

Munna @ Mohammad Khalid S/o Mohammad Umar, R/o House No. 6-F-9, Mahaveer Nagar Extension, Dadabari, Kota At Present Tenant House Of Ram Prasad, Naya Gaon, P.s. R.k. Puram, Kota At Present Peeru Bhai Ka Makan, Tilak Nagar, Kotdi, Police Station Gumanpra, Kota City (Raj.) (At Present Confined At Central Jail, Kota).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Mukesh Sharma
For Respondent(s) : Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

13/12/2024

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना उद्योग नगर (कोटा शहर), जिला–कोटा शहर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 392/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 और 120–बी भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में सलिप्त अन्य सहअभियुक्तगण गजेंद्र उर्फ घनश्याम को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2024 को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने परिवादी पक्ष से किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की है और न ही प्रार्थी–अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी हुई है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में अब आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 24.09.2024 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर पूर्व का एक प्रकरण संस्थित है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी होना प्रकट नहीं हो रहा है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी दिनांक 24.09.2024 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /38